<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा.सं. 7/29/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय
***

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक: 16 सितंबर, 2026

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>
सेतु मामला आईडी:एडी/एसी/006/2026

विषय : **चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन - चाहे यौगिक में आगे प्रसंस्कृत हो या नहीं" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मलेशिया, जापान और थाईलैंड के माध्यम से तथाकथित प्रवंचना के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच की शुरुआत।**

क. <u>पृष्ठभूमि</u>

1. **फा.सं. 7/29/2026-डीजीटीआर**: डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, एपिग्रल लिमिटेड और लुब्रिजोल एडवांस्ड मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है), और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन - चाहे यौगिक में आगे प्रसंस्कृत हो या नहीं" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबद्ध सामान" कहा गया है) के संबंध में यह आरोप लगाते हुए एक आवेदन-पत्र दायर किया

है कि जापान, मलेशिया और थाईलैंड (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) से संबद्ध सामानों के निर्यातों के माध्यम से प्रवंचना की जा रही है।

2. चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबद्ध मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 06/03/2019-डीजीटीआर दिनांक 28 मार्च 2019 द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अपने प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 06/03/2019-डीजीटीआर दिनांक 12 जुलाई 2019 द्वारा जारी किए, जिसके अनुसरण में केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 33/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 26 अगस्त 2019 द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया। इसके बाद, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 06/03/2019-डीजीटीआर दिनांक 19 फरवरी 2020 द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए, जिसमें निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 05/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 7 मार्च 2020 द्वारा लगाया गया था। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 07/28/2023-डीजीटीआर दिनांक 29 दिसंबर 2023 द्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की और, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 25 मई 2024 द्वारा, उपाय के रूप में संशोधन के साथ पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की। इसके अनुसरण में, केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 15/2024-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 23 अगस्त 2024 द्वारा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया गया।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है, अर्थात, "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन- यौगिक में आगे प्रसंस्कृत हो या नहीं" (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' या संबद्ध सामान' कहा गया है)। इसका उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों, अग्नि सुरक्षा, पुनः प्राप्त जल पाइपिंग, ठंडे पानी की पाइपिंग, हाइड्रोनिक पाइपिंग और वितरण (रेडियेटर्स, पंखे कॉइल, आदि) में गर्म और ठंडे पानी के प्लंबिंग वितरण में किया जाता है और कई औद्योगिक पाइपिंग अनुप्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है।

ग. <u>जांचाधीन उत्पाद (पीयूआई)</u>

4. जांचाधीन उत्पाद, जिस पर संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना किए जाने का करने का आरोप है, मलेशिया से मेसर्स ससिया क्लोरीन पॉलीमर्स एसडीएन बीएचडी, जापान से मेसर्स ईबीसी कॉर्पोरेशन, और थाईलैंड से मेसर्स सेकिसुई स्पेशलिटी केमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यातित "क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन - चाहे यौगिक में आगे प्रसंस्कृत हो या नहीं" (जिन्हें यहां आगे "जांचाधीन उत्पाद" या "पीयूआई" कहा गया है) है। जांचाधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मद 3904 90 10 और 3904 90 90 के अधीन वर्गीकृतहै। हालाँकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है

घ. <u>घरेलू उद्योग</u>

5. यह आवेदन-पत्र डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, एपिग्रल लिमिटेड और लुब्रिजोल एडवांस्ड मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। जांच की अवधि के दौरान डीसीडब्ल्यू लिमिटेड और एपिग्रल लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक थे, जबकि लुब्रिजोल एडवांस्ड मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जांच की अवधि के बाद सीपीवीसी रेजिन का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि यह आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 26 (1) के साथ पठित नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर किया गया है।

ड. <u>मौजूदा उपाय</u>

6. अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 07/28/2023-डीजीटीआर दिनांक 25 मई 2024 द्वारा सिफारिश किए गए और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 15/2024-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 23 अगस्त 2024 द्वारा जारी रखे गए मौजूदा पाटनरोधी उपाय की तथाकथित रूप से प्रवंचना की जा रही है।

च. <u>तथाकथित प्रवंचना के लिए आधार</u>

7. प्रवंचनारोधी जांच के लिए आवेदन-पत्र जापान से ईबीसी कॉर्पोरेशन द्वारा निर्यातित जांचाधीन उत्पाद, मलेशिया से ससिया क्लोरीन पॉलीमर्स एसडीएन बीएचडी और थाईलैंड से सेकिसुई स्पेशलिटी केमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यातित जांचाधीन उत्पाद के संबंध में अधिसूचना संख्या 15/2024सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 23 अगस्त, 2024 द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की मांग करते हुए, दायर किया गया है। जो तथाकथित रूप से मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना कर रहे हैं। आवेदकों ने प्रवंचनारोधी जांच की मांग करते हुए कारण/साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

क. चीन से रेज़िन रूप में सीपीवीसी मलेशिया और जापान को निर्यात किया जा रहा है, जिसे फिर रेज़िन रूप में सीपीवीसी के रूप में भारत को निर्यात किया जाता है।

ख. चीन से रेज़िन या यौगिक रूप में सीपीवीसी थाईलैंड को निर्यात किया जा रहा है, जिसे फिर सेकिसुई स्पेशलिटी केमिकल्स द्वारा रेज़िन या यौगिक रूप में सीपीवीसी के रूप में निर्यात किया जा रहा है।

ग. अनुरोध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि जांचाधीन उत्पाद की कीमत पाटित है।

ड. जबकि आयात में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग बेकार क्षमताओं के साथ काम कर रहा है।

8. प्राधिकारी आवेदकों द्वारा दिए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर नोट करते हैं कि व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन आया है, जिसमें जापान, मलेशिया और थाईलैंड से जांचाधीन उत्पाद के आयात में बिना किसी पर्याप्त कारण या आर्थिक औचित्य के महत्वपूर्ण स्तर तक वृद्धि हुई है, जिससे चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव कमजोर हो रहे हैं।

छ. प्रवंचनारोधी जांच की शुरुआत

9. आवेदकों द्वारा दायर विधिवत समर्थित आवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध कराई गई सूचना एवं साक्ष्यों तथा किए गए विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि नियम 25 में उल्लिखित परिस्थितियों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा जिन आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की परिवंचना किए जाने का आरोप है, वे प्रथम दृष्टया पाटित पाए गए हैं। तदनुसार, प्राधिकारी मैसर्स ससिया क्लोरीन पॉलीमर्स एसडीएन बीएचडी, जापान से मैसर्स ईबीसी कारपोरेशन और थाईलैंड से मैसर्स सेकिसुई स्पेशिलित केमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यातों के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की तथाकथित प्रवंचना की मौजूदगी और प्रभाव निर्धारित करने के लिए नियमावली के नियम 25 और 26 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (1क) के अनुसार प्रवंचनारोधी जांच एतद्द्वारा जांच शुरु करते हैं।

ज. जांच की अवधि

10. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) है, और क्षति की अवधि में 2022-23, 2023-24, 2024-25 और जांच की अवधि शामिल होगी।

झ. जांचाधीन देश एवं निर्यातक

11. वर्तमान परिवंचना-रोधी जांच केवल मलेशिया से मेसर्स सासिया क्लोरीन पॉलिमर्स एसडीएन. बीएचडी., जापान से मेसर्स ईबीसी कॉरपोरेशन तथा थाईलैंड से मेसर्स सेकिसुई स्पेशलिटी केमिकल्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को निर्यात किए गए जांचाधीन उत्पाद तक सीमित है। यह जांच मलेशिया, जापान अथवा थाईलैंड के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों तक विस्तारित नहीं है।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

12. इस जांच के लिए सभी सूचना, प्रश्नावली और अनुरोध इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर केवल सेतू पोर्टल के माध्यम से दायर किए जाने चाहिएं। प्राधिकारी ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए अनुरोधों पर विचार नहीं कर सकते हैं।

13. जांच में भाग लेने के लिए, सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण करने में किसी भी कठिनाई की स्थिति में, डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क से https://setu.dgtr.gov.in/help-desk. पर दिए गए विवरण के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और ऊपर उल्लिखित संबद्ध केस आईडी के तहत सेतू पोर्टल के माध्यम से दायर किए जाने चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रविष्टियों का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड फाइल प्रारूप में दायर किया गया है, जबकि आंकड़ा फाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में उचित रूप से लिंक परिकलनों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

14. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके में पूरी संगत सूचना दायर कर सकें। ये सभी सूचनाएं, इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में दायर की जानी चाहिए।

15. इस जांच में हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच में हित की प्रकृति सहित अपना हित सूचित करें और इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध दायर करें।

16. कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संगत अनुरोध कर सकते हैं। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को साथ-साथ उसी का अगोपनीय रूपांतर दायर करना आवश्यक है। अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए।

17. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं, अंतिम जांच परिणाम और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहें।

ट. <u>समय सीमा</u>

18. प्रश्नावली के उत्तरों/अनुरोधों का गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) उस तारीख से 37 दिनों के भीतर सेतु पोर्टल के संबद्ध निर्दिष्ट भागों में अपलोड की जाएगी, जिस तारीख को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा या नियमावली के नियम 26(5) के साथ पठित नियम 6(4) के अनुसार संबंधित देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधियों को भेजी जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. वर्तमान जांच में किसी हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण करने के इच्छुक किसी पक्षकार को सेतू पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना चाहिए और इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर ही अपने प्रश्नावली के उत्तर और अनुरोध दायर करने चाहिए।

20. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध मूल समय सीमा से कम से कम 3 दिन पहले संबंधित पक्षकार द्वारा सेतू पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

21. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

22. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर और उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित कोई भी अनुरोध करने वाले पक्षकारों को सेतू पोर्टल के निर्दिष्ट अनुभागों में गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर अलग-अलग दायर करने की आवश्यकता है।

23. प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध करने वाले पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि:

    i. सेतु पोर्टल के निर्दिष्ट भाग में दो रूपांतर अपलोड करना: एक गोपनीय और दूसरा अगोपनीय चिह्नित किया गया हो
    ii. जहां अनुरोध में कई भाग या अनुबंध हों, तो एक सूची तालिका जोड़ें जिसमें सभी भाग और अनुबंध दिए गए हों; और
    iii. अनुरोध के प्रत्येक पृष्ठ पर उचित रूप से पृष्ठ संख्या हो।

24. जहां मूल दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, वहां हितबद्ध पक्षकार मूल दस्तावेज के साथ अंग्रेजी या हिंदी में एक सही अनुवाद प्रदान करेगा।

25. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

26. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने

वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

27. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय सूचना को वहां सूचीबद्ध या ब्लैंक्ड आउट किया जाना चाहिए, जहां सूचीकरण संभव नहीं है। इस तरह की सूचना को उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर सूचना की गोपनीयता का दावा किया जाता है।

28. अगोपनीय सार गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार का मानना है कि ऐसी सूचना सार के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए, ऐसा पक्षकार यह दर्शा सकता है और पर्याप्त एवं पूरे स्पष्टीकरण सहित कारण-विवरण दे सकता है कि सार क्यों संभव नहीं है।

29. हितबद्ध पक्षकार अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीय दावों पर अपनी टिप्पणियां दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर दे सकते हैं।

30. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सावर्जनिक करने का अनिच्छुक है या उसे सामान्य रूप में या सार रूप में प्रकट करने के लिए अधिकृत करने का अनिच्छुक है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

31. सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना किया गया कोई भी अनुरोध या नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण विवरण दिए बिना कोई अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के संगत कोई भी अनुरोध, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

32. जहां प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है, तो वह ऐसी सूचना किसी भी पक्षकार को सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना प्रकट नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

33. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतर से सेतू पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ होंगे।

ढ. <u>असहयोग</u>

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में अत्यधिक रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार
निर्दिष्ट प्राधिकारी

Digitally signed by Amitabh Kumar
Date: 16-09-2026 19:12:03